(GCF-2,3,4,5,6, VCF-1,2, VDCF-1,2 & SCF-1,2)
DATE: 06.10.2021 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3 Hours

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions.
Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) N द्वारा किया गया दावा वैध नहीं होगा क्योंकि किसी वायदे को निभाना या पूरा करना या न करना केवल वायदा क्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है ऐसा कोई वायदा अनुबंध नहीं होता है। **{1 M}**

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा, 29 के अनुसार ऐसे अनुबंध जिनका अर्थ या अभिप्राय निश्चित न हो या जिन्हें सुनिश्चित न किया जा सकता हो ऐसे अनुबंध शून्य होते है। **{1 M}**

Answer:

(b) **कम्पनी के आवरण का सिद्धान्त (Corporate Veil theory)** :–कम्पनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है। जिसे प्रथक वैधानिक अस्तित्व कहते है। सदस्य कम्पनी के गलत कार्यो के प्रति जिम्मेदार नही है। यदि कम्पनी कानुनों का उल्लंघन करती है। तो सदस्य उसके लिए जिम्मेदार नही है। कम्पनी अलग है और सदस्य अलग है।

Case Law : Saloman V. Salomon & Co. Ltd.

कम्पनी और सदस्यों के मध्य एक काल्पनिक पर्दा होता है। जिसके कारण एक अंशधारी जिसके पास कम्पनी के अधिकांश अंश क्यों ना हो कम्पनी के गलत कार्यो के प्रति जिम्मेदार नही है। इसे कम्पनी के आवरण का सिद्धान्त कहते है। **{1 M}**

कम्पनी को बेनकाब करना (अपवाद):– न्यायालय निम्न परिस्थितियों में कम्पनी को बेनकाब कर सकता है:–

(1) **कम्पनी के वास्तविक चरित्र के निर्धारण के लिए :–** यह पता लगाने के लिए कि कम्पनी मित्र कम्पनी है या शत्रु कम्पनी न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

डेमलर कम्पनी लिमिटेड बनाम कॉन्टीनंटल टायर एण्ड रबर कम्पनी

इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि कम्पनी को शत्रु कम्पनी माना जाएगा। यदि उस कम्पनी का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति शत्रु देश के निवासी हो या वह शत्रु देश के संकेतों के अनुसार कार्य करते हो। यहॉ पर न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

(2) **राजस्व की सुरक्षा/कर की सुरक्षा के लिए :–** यदि कम्पनी का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है। कि राजस्व करो के भुगतान से बचा जा सके। तो न्यायलय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

वाद:– Sir Dinshaw manek ji petit case

D कई कम्पनीयों का अंशधारी था। उसे लाभांश या ब्याज के रूप में काफी आय प्राप्त होती थी। राजस्व के भुगतान से बचने के लिए उसने 4 कम्पनिया बनाई जिनका खुद का कोई व्यवसाय नही था D इन कम्पनीयों में लाभांश व ब्याज कि राशि अंतरित कर देता था।

न्यायालय ने कम्पनी को बेनकाब किया और कहा कि D को राजस्व का भुगतान करना पडेगा।

(3) **वैधानिक दायित्वो से बचने के लिए :–** यदि कम्पनी का निर्माण कल्याणकारी कानूनो से बचने के लिए किया गया है। जिससे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान ना करना पडे तो न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

वाद:– एसोसियेटेड रबर इंडस्ट्रीज लि. के कर्मचारी बनाम एसोसियेटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इस कम्पनी ने एक सहायक कम्पनी बनाई। जिसमें वह अपना लाभ अंतरित कर देती थी। जिससे उसे कर्मचारियों का बोनस पी.एफ., ग्रेचुइटी आदि का भुगतान ना करना पडे। उस सहायक

(1 M each)

कम्पनी का खुद का कोई व्यवसाय नही था। न्यायालय ने कम्पनी को बेनकाब किया और कहॉ कि आपको श्रम कल्याणकारी प्रावधानों का पालन कना पडेगा।

(4) **यदि सहायक कम्पनी का निर्माण ऐजेन्सी के रूप में किया गया हो।** :– इस मामले में न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।

Merchandise Transport Ltd. V British Transport commission:- एक यातायात कम्पनी अपने वाहनो के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहती थी। परन्तु वह स्वयं के नाम से आवेदन नही दे सकती थी। उस कम्पनी ने एक सहायक कम्पनी बनाई। और लाईसेंस के लिए आवेदन दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सुत्रधारी और सहायक कम्पनी दोनो एक है और आवेदन को रद्द कर दिया गया।

(5) **कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम के लिए:–** यदि न्यायालय को इस बात को संदेह हो कि कम्पनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा अनुचित आचरण करने के लिए किया गया है तब न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है। Gilford moter Ltd. V Horne.

H इस कम्पनी का कर्मचारी था जिस पर प्रतिबंध था कि वह कम्पनी छोडने के बाद कम्पनी के ग्राहको को नही तोडेगा। H ने कम्पनी के ग्राहको को ताडने के लिए एक कम्पनी बनाई।

न्यायालय ने कहा कि H और उसकी कम्पनी एक ही है। जो काम H प्रत्यक्ष रूप से (कम्पनी के माध्यम से) भी नही कर सकता है।

Answer:

(c) एक साझेदार के भाग को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हस्तान्तरिती के अधिकार (Rights of transfree of a partner's share) (धारा 29) :–

1. हस्तान्तरिती को यह अधिकार नहीं है कि :–
   (a) वह व्यापार कार्य में हस्तक्षेप कर दे,
   (b) हिसाब की मांग करे,
   (c) फर्म के बही खातों का निरीक्षण करें। **{1 M}**

   नोट :–उसे केवल हस्तान्तरिती करने वाले साझेदार के भाग के लाभ को प्राप्त करने का अधिकार है और वह लाभ जिसके लिये अन्य साझेदारों ने सहमति दी है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात् वह हिसाब–किताब को चुनौती नहीं दे सकता।
2. फर्म के विघटन होने पर अथ्वा भाग हस्तान्तरित करने वाले साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर हस्तान्तरिती को अन्य साझेदारों की अपेक्षा –
   (i) फर्म की समाप्ति के उस भाग को प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिस पर हस्तान्तरिती करने वाले साझेदार का अधिकार था और **{1 M}**
   (ii) उक्त भाग को जानने के लिये विघटन की तिथि से हिसाब किताब की मांग का अधिकार होगा।

   नोट :–
   1. साझेदारी का सम्बन्ध आपसी विश्वास पर आधारित है, इसीलिए हित का हस्तान्तरित वास्तविक साझेदार के सभी अधिकार व पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, वह केवल हस्तान्तरणकर्त्ता के लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी है।
   2. वह हस्तान्तरिती फर्म का साझेदार नहीं होता, इसीलिए वह फर्म व अन्य साझेदारों को बाध्य नहीं कर सकता। **{1 M}**
   3. यदि साझेदारों द्वारा समझौता करके किसी नये साझेदार को फर्म में शामिल किया जा सकता है, साझेदार को स्थानापन्न किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में इनके कार्यो से सभी साझेदार बाध्य होंगे।
   4. यदि एक साझेदार अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को स्थानापन्न कर सके, तब वह उसके भाग के वैध हस्तान्तरण तथा इस विषय में अपने सह–साझेदारों को नोटिस देने के पश्चात् फर्म के किसी कार्य के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। यह वास्तव में उसके अवकाश–ग्रहण करने के समान होगा। **{1 M}**

Answer 2:

(a) अनुबंध की विशिष्ठता का सिद्धान्त :– यद्यपि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत किसी समझौते के लिए प्रतिफल किसी तृतीय पक्षकार द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन तृतीय पक्षकार समझौते पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। केवल अनुबंध का पक्षकार व्यक्ति ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसे ही अनुबंध की विशिष्ठता का सिद्धान्त कहते है। **{1 M}**

उपरोक्त नियम कि अनुबंध के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद दायर नहीं कर सकता है ''अनुबंध की विशिष्टता का सिद्धान्त'' कहलाता है जो कई अपवादों से भी ग्रस्त है। दूसरे शब्दों में, यहॉ तक कि अनुबंध के प्रति अजनबी एक व्यक्ति निम्न मामलों में किसी दावे को प्रवर्त्तनीय करा सकता हैः– **{1 M for each correct 6 points}**

(1) प्रन्यास की स्थिति में, एक हितप्राप्तकर्ता प्रन्यास में अधिकारों को लागू कर सकता है, जबकि वह निपटानकर्ता तथा प्रन्यासी के मध्य अनुबंध का एक पक्षकार भी नहीं था।

(2) पारिवारिक निपटारे की स्थिति में, यदि निपटान की शर्ते लिखित रूप में हैं, तो परिवार के सदस्य जो मौलिक रूप से निपटारे के पक्षकार नहीं है, समझौते को प्रवर्त्तनीय करा सकेंगें।

(3) विशिष्ट विवाह अनुबंधों में, एक महिला सदस्य अविभाजित परिवार के विभाजन पर वैवाहिक व्ययों की व्यवस्थाकी मॉग कर सकती है।

(4) अनुबंध के समर्पण (हस्तांतरण) के मामले में, जब किसी अनुबंध के अन्तर्गत लाभ हस्तांतरण किया गया हो तो हस्तातंरी अनुबंध को प्रवर्त्तनीय करा सकता है।

(5) दायित्व को स्वीकार करके गत्यावरोध के मामले में या उसकी आंशिक निष्पत्ति में अर्थात् जब कोई दायित्व को स्वीकार करता हो। उदाहरण के लिए 'एल' 'एम' को 2,000 रूपये 'एन' को देने के लिए देता है। 'एम' 'एन' को सूचना देता है कि मैंने तुम्हारी राशि को रखा हुआ है परन्तु बाद में 'एम' उक्त राशि देने से मना कर देता है तो 'एन'यह राशि उससे लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

(6) किसी बेनामी भूमि के मामले में जो व्यक्ति भूमि को इस सूचना के साथ क्रय करता है कि भूमि का स्वामी भूमि के स्वामित्व को प्रभावित करने वाले कुछ दायित्वों से जुडा हुआ है तो ऐसी बेनामी भूमि पर विक्रेता के उत्तराधिकारी द्वारा प्रवर्त्तनीय कराया जा सकता है।

(7) एक अभिकर्त्ता द्वारा किये गये अनुबंध – मालधनी अपने अभिकर्ता द्वारा किये गये अनुबंधों का प्रवर्तनीय करा सकता है जहॉ अभिकर्ता ने अपने अधिकार–क्षेत्र की सीमा में काम दिया है तथ मालधनी के नाम में किया हो।

Answer:

(b) वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जब, कोई वस्तु क्रेता को ''विक्रय या वापसी'' के आधार पर दी जाती है तो विक्रय निम्न दशाओं में मान लिया जाता है। **{3 M}**

(1) क्रेता क्रय के लिए अपनी सहमती दे दे।

(2) वह उचित समय बीत जाने के बाद भी माल पुनः ना लौटाये।

(3) कोई ऐसा कार्य करे जो यह दर्शता हो, उसने माल स्वीकार कर लिया है जैसे गिरवी, निक्षेप आदि।

उपरोक्त मामले में जोशी ने जैसी ही कार श्री गणेश को गिरवी रखी, वह कारके मालिक बन गए और अब प्रीति कार वापिस नहीं मांग सकती, हालाकि प्रीति को अधिकार है कि वह कार की कीमत जोशी से प्राप्त करें। **{2 M}**

Answer 3:

(a) यह मामला वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 से संबंधित है। जिसके अनुसार के व्यापारिक एजेन्ट– **{1 M}**

(a) माल बेचने के लिए,

(b) माल खरीदने के लिए,

(c) माल पर धन जुटाने के लिए

अधिकृत होता है। एजेन्ट से खरीदने पर क्रेता को अच्छा सत्व प्राप्त होगा यदि निम्न शूर्ते पूरी हों :

(a) एजेन्ट स्वामी की अनुमति से माल पर कब्जा रखे,

(b) एजेन्ट व्यवसाय के सामान्य परिचालन में माल को बेचे,
(c) क्रेता सद्विश्वास में खरीदे
(d) क्रेता को एजेन्ट के माल न बेचने के अधिकार के संबंध में कोई जानकारी ना हो। **{4 M}**

उपरोक्त मामले में J, A से कार का मूल्य वसूल नहीं कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) साझेदारियों के प्रकार (KINDS OF PARTNERSHIP)

अग्रलिखित चार्ट साझेदारी के विभिन्न प्रकारों को व्यक्त करता हैः–

साझेदारी के विभिन्न प्रकारों को नीचे दिया जा रहा है–

1. **अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वैच्छिक साझेदारी एक ऐसी साझेदारी है जब–**
   1. साझेदारी की अवधि के लिए किसी स्थिर अवधि के लिए सहमति नहीं हुई है, तथा
   2. साझेदारी के निर्धारण के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इन दोनों शर्तो को एक स्वैच्छिक साझेदारी के रूप में समझे जाने के लिए एक साझेदारी को संतुष्ट करना चाहिये। लेकिन जहाँ साझेदारों के बीच एक ठहराव हो या तो साझेदारी की अवधि के लिए या साझेदारी के निर्धारण के लिए, तो साझेदारी स्वैच्छिक साझेदारी नहीं होगी।

   जब एक साझेदारी एक नियत अवधि के लिए बने तथा ऐसी अवधि बीतने के बाद भी चलती रहे तो इसको एक स्वैच्छिक साझेदारी के रूप में माना जाना चाहिये।

   एक स्वैच्छिक साझेदारी को किसी साझेदार द्वारा समाप्त किया जा सकता है फर्म को समाप्त करने के लिए अपनी भावना अन्य सभी साझेदारों को लिखित में नोटिस देकर।
2. **एक नियत अवधि के लिए साझेदारी** (Partnership for a Fixed Period) – जहाँ साझेदारी की अवधि के लिए अनुबंध द्वारा व्यवस्था की जाती है तो साझेदारी को 'स्थिर अवधि वाली साझेदारी' कहा जाता है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो समय की एक अवधि विशेष के लिए बनाया गया है। ऐसी एक साझेदारी नियत अवधि के बीतने पर समाप्त हो जाती है।
3. **विशेष साझेदारी** (Particular Partnership) – एक साझेदारी को एक एकाकी उपक्रम को पूरा करने के लिए तथा साथ ही सतत व्यवसाय के परिचालन के लिए संगठित किया जा सकता है। जहाँ एक व्यक्ति किसी उपक्रम विशेष में या संस्थान में एक साझेदार बनता है किसी उपक्रम या संस्थान विशेष में, तो साझेदारी को 'विशेष साझेदारी' कहा जाता है।

   एक साझेदारी जो एक एकाकी उपक्रम या कार्यक्रम के लिए बनाई गई है, किसी ठहराव की शर्त पर, उस उपक्रम या कार्यक्रम को पूर्णता द्वारा समाप्त की जाती है।
4. **सामान्य साझेदारी** (General Partnership) – जहाँ एक साझेदारी को सामान्यतः व्यवसाय के संबंध में बनाया जाता है तो यह सामान्य साझेदारी कहलाती है। एक साझेदारी विशेष की दशा में, साझेदारों का दायित्व केवल उस उपक्रम विशेष या संस्थान तक ही जाता है, लेकिन सामान्य साझेदारी की दशा में ऐसा नहीं है।

{$1^{1/2}$ M Each}

Answer 4:

(a) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार एक कम्पनी अलाभकारी उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती है। जिसमें कम्पनी का उद्देश्य वाणिज्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, खेल इत्यादि को प्रोत्साहित करना होगा और वह अपने लाभ को अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयोग करेगी। धारा 8 वाली कम्पनी को पंजीकार तभी पंजीकृत करता है जब सरकार ने उसको लाईसेन्स जारी किया हो। यहां पर एल्फा स्कूल ने धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। केन्द्र सरकार निम्नलिखित तीन कार्यवाहियां कर सकती है– **{1 M}**

1. यदि कम्पनी लाईसेन्स की शर्तो को पूरा नहीं करती या कम्पनी के कार्य कपटपूर्ण तरीके से चलाये जाते है या जननीतिक विरूद्ध है तो केन्द्र सरकार कम्पनी को दिये गये लाईसेन्स को खण्डित कर सकती है और कम्पनी के नाम के आगे प्राईवेट अथवा लिमिटेड शब्द जोड सकती है। परन्तु लाईसेन्स का खण्डन करने से पहले केन्द्र सरकार कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देगी। **{1 M}**

2. केन्द्र सरकार यदि लाईसेन्स खण्डित करती है तो जनहित को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार कम्पनी को समाप्त भी कर सकती है या समान उद्देश्य की कम्पनी में उसका विलयन कर सकती है। परन्तु इस दशा में भी केन्द्र सरकार को कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा। **{1 M}**

3. केन्द्र सरकार कम्पनी को समान उद्देश्य वाली किसी अन्य कम्पनी के साथ समामेलित कर सकती है और एक कम्पनी बना सकती है। जिसकी सम्पत्तियां, अधिकार, दायित्व, संविधान वे होंगे जो केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। परन्तु ऐसी कार्यवाही करने से पहले सरकार कम्पनी को सुनवाई का उचित अवसर देगी। **{1 M}**

Answer:

(b) पूर्वाधिकार और माल को मार्ग में रोकने के अधिकार में अन्तर
(DISTINCTION BETWEEN RIGHT OF LIEN AND RIGHT OF STOPPAGE IN TRANSIT)

(i) पूर्वाधिकार का आशय माल पर विक्रेता का अधिकार बनाये रखता है जबकि माल को मार्ग में रोकने का अर्थ माल पर पुनः कब्जा प्राप्त करना है।

(ii) पूर्वाधिकार के सम्बन्ध में माल विक्रेता के कब्जे में होना चाहिये जबकि माल के मार्ग में रोकने के सम्बन्ध में (क) विक्रेता ने माल पर से कब्जा समाप्त कर दिया हो (ख) माल किसी मालवाहक के पास हो (ग) क्रेता ने माल को प्राप्त नही किया है।

(iii) पूर्वाधिकार उस स्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है जब क्रेता दिवालिया नही हुआ है। परन्तु माल को मार्ग में रोकने का अधिकार तभी प्रयोग किया जा सकता है जब क्रेता दिवालिया हो गया हो।

(iv) माल को मार्ग में रोकने का अधिकार वहाँ आरम्भ होता है जहाँ पूर्वाधिकार समाप्त होता है। इस प्रकार पुर्वाधिकार की समाप्ति माल को मार्ग में रोकने का अधिकार का प्रारम्भिक बिन्दु है। **{1 M Each}**

Answer:

(c) **{**कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी के सभी सदस्यों की मृत्युः– एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी एवं टिकाऊ संस्था है। इसकी आयु इसके किसी अथवा सभी सदस्यों अथवा निदेशक (निदेशकों) की मृत्यु, दिवालियापन अथवा सेवानिवृति पर निर्भर नहीं है। अंशों का हस्तान्तरण योग्यता अथवा हस्तांकन योग्यता कम्पनी के शाश्वत अस्तित्व में सहायक है।कानून इसे उत्पन्न करता है तथा केवल कानून ही इसका समापन कर सकता है। सदस्य आये, सदस्य जाऐ, लेकिन कम्पनी हमेशा चलती रहती है।**}{2 M}**
{इसलिए ऐसी दशा में ABC प्राइवेट लि. का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। अंशो के हस्तांकन के द्वारा अंश उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांकित हो जाएंगें। कम्पनी का अस्तित्व केवल समापन पर ही समाप्त होगा। इसलिए सभी सदस्यों की मृत्यु (यादि 5 सदस्य) से भी ABC लि. का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ।**}{2 M}**

Answer 5:

(a) (i) नमूने द्वारा बिक्री के अनुबंध में वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 17 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, एक निहित शर्त हैः

(a) सम्पूर्ण माल गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होगा,

(b) क्रेता के पास नमूने के साथ सम्पूर्ण माल की तुलना करने का एक उचित अवसर होगा।

तत्काल मामले में, अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2) के उप–खंड (बी) के प्रावधानों के प्रकाश में, श्रीमती गीता सफल नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने चावल के नमूने की लापरवाही से जांच की थी (जो वास्तव में नमूने के अनुरूप था) इस तथ्य के बिना कि यह नमूना भले ही बासमती चावल का था, लेकिन इसमें लंबे और छोटे अनाज का मिश्रण था। **{2 M}**

(ii) नमूने द्वारा बिक्रीः यदि वस्तु का विक्रय नमूने के आधार पर किया जाता है तो यह गर्भित शर्त है कि सम्पूर्ण माल नमूने के अनुसार होना चाहिये।
नमूने द्वारा बिक्री के अनुबंध में वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 17 की उप–धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, एक निहित शर्त हैः
(a) कि थोक गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप होगा,
(b) कि खरीदार के पास नमूने के साथ थोक की तुलना करने का एक उचित अवसर होगा।
(c) कि माल किसी भी दोष से मुक्त होगा, उन्हें अप्राप्य प्रदान करेगा, जो नमूना की उचित परीक्षा पर स्पष्ट नहीं होगा। **{2 M}**

(iii) तत्काल मामले में, क्रेता के पास शिकायत निवारण के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। **{1 M}**

(iv) यदि श्रीमती गीता ने चावल की लंबाई के रूप में उसकी सटीक आवश्यकता को निर्दिष्ट किया है, तो एक निहित शर्त है कि माल विवरण के अनुरूप होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। **{1 M}**

Answer:

(b) LLP के समामेलन के विभिन्न चरणः

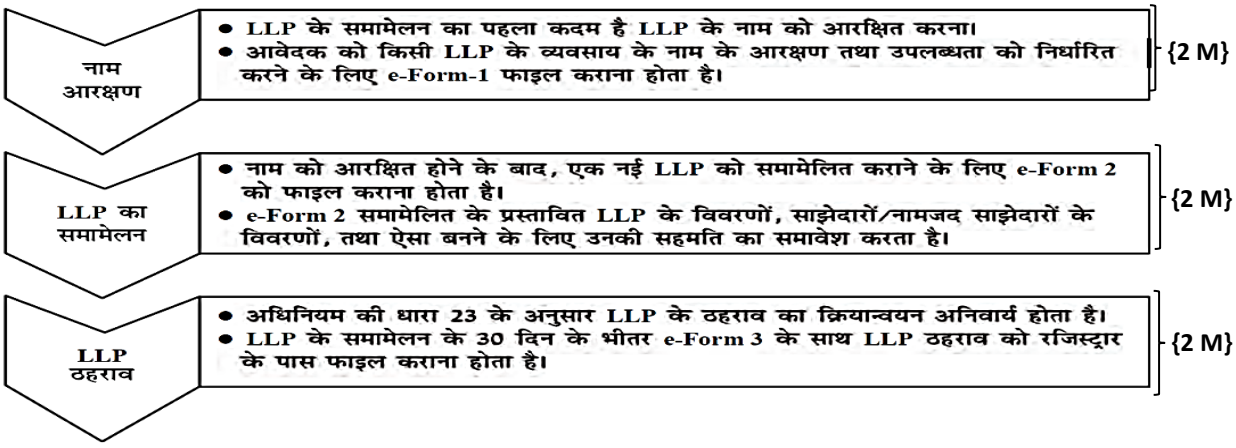

Answer 6:

(a) **क्रेता द्वारा उप–विक्रय या रेहन का प्रभाव (EFFECTS OF SUB-SALE OR PLEDGE BY BUYER) धारा –53** :– अदत्त विक्रेता का ग्रहणाधिकार या मार्गस्थ माल रोकने का अधिकार क्रेता द्वारा माल के आगे विक्रय या किसी अन्य निपटान द्वारा प्रभावित नही होता यह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि एक दूसरा क्रेता अपने विक्रेता की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में नही हो सकता है (अर्थात प्रथम क्रेता से श्रेष्ठ स्थिति में नहीं जा सकता है) **3 M**

वैसे अदत्त विक्रेता का उपरोक्त अधिकार निम्न दो अपवादों के साथ रहेगा।

(i) जब विक्रेता ने विक्रय, बंधक या क्रेता द्वारा माल के अन्य निपटान की सहमति दी हो। (उपधारा (1))

(ii) जब माल के स्वामित्व का प्रपत्र क्रेता को हस्तांतरित किया जा चुका हो तथा क्रेता ने ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र हस्तांतरित किये हों जिसने मूल्य के लिए सद्भावना में माल को खरीदा हो। **($1^{1/2}$ M each)**

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 में अनुबंध भंग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब अनुबंध भंग होने के कारण एक पक्ष को हानि हो तो वह पक्ष अनुबंध भंग के लिए दोषी पक्ष से प्राकृतिक रूप से सौदों के सामान्य व्यवहार के अन्तर्गत अनुबंध भंग के कारण होने वाली हानि, जो अनुबंध करते समय दोनों पक्षों की जानकारी में थी, प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार का हर्जाना **{3 M}**

दूर के किसी कारणवश अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि के लिए नहीं दिया जाता। इस धारा के स्पष्टीकरण में आगे बताया गया है कि हानि का अनुमान लगाते समय उन साधनों को ध्यान में रखा जाए जो अनुबंध भंग से होने वाली हानियों या असुविधा को कम कर सकते थे।

उपर्युक्त कानून के सिद्धान्त को प्रश्न में पूछी गयी समस्या पर लागू करते हुए M लि. अनुंबध भंग के कारण प्राकृतिक रूप से हुई रू. 1.25 लाख (रू. 12.75 – 11.50 = रू. 1.25) की हानि को पूरा करने के लिए दायी है। **{$1^{1/2}$ M}**

शान्ति ट्रेडर्स द्वारा जैनिथ ट्रेटर्स को दिये जाने वाले हर्जाने के सम्बंध में दिये जाने वाली हर्जाने की राशि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि क्या M लि. को शान्ति ट्रेडर्स द्वारा निर्दिष्ट तिथि को जैनिथ ट्रेडर्स को दी जाने वाली मशीनरी के अनुबंध की जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो M लि. को शान्ति ट्रेडर्स द्वारा जैनिथ ट्रेडर्स को दिये जाने वाले हर्जाने की भी भरपाई करनी होगी अन्यथा M लि. दायी नहीं है। **{$1^{1/2}$ M}**

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a)
(i) b/c
(ii) c
(iii) a
(iv) b
(v) d

{Each 1 Mark}

Answer:

(b) Visual communication is effected through visual aids such as signs, typography, drawing, graphic design, illustration, color and other electronic resources usually reinforces written communication. It is a powerful medium to communicate. Thus print and audio-visual media makes effective use of adverts to convey their message. Visuals like videos graphs, pie charts and other diagrammatic presentations convey clearly and concisely a great deal of information. **{1 M}**

Answer:

(c)
(i) d
(ii) c
(iii) By whom was this essay written?
(iv) Sheila exclaimed how smart Seema was.

{Each 1 Mark}

Answer 8:

(a) Memo

XYZ Consultants
32, Jai Hind Road
Nagpur, India

Inter Office Memo

{1 M}

Date: 10th April, 2019
To: The all staff members From: HR department Reference : HR/Circular/2019/03

Subject: Dismissal of staff member

{1 M}

This is to inform that Mr. PQR, holding the position of Sales Head has been suspended from his responsibilities due to multiple charges of misappropriation of office funds against him. He is currently at large and avoiding police arrest.
Staff is instructed to immediately report any information/clue about him to the undersigned. **{3 M}**

Answer:

(b) A communication network refers to the method and pattern used by members of an organization to pass on information to other employees in the organization. Network helps managers create various types of communication flow according to requirement of the task at hand. Some companies have established and predefined networks of communication for specified venture. **{1 M}**

Answer:

(c) (i) a
(ii) c
(iii) A pen is used by Rajesh to sketch figures.
(i) Elders always say that if you work hard, you will succeed. (Universal truth)

{Each 1 Mark}

Answer 9:

(a) Answer Hints for Article

- Both play an equally significant role
- Only physical fitness keeps the body in shape
- Six packs, abs, muscular body……..all look impressive but does running and doing cardio

take care of the mind.

- Is it fine to be dumb in the head and have a strong, finely chiselled body?
- Mind is the hard drive of a human body. Data stored, collected, used etc.
- An active mind ensures proper functioning of the whole system
- Quote like,' an empty mind is a devil's workshop'.
- However, physical prowess and mental agility both have their own specific and need based roles.

{Any 5 Points Each 1 Mark}

Answer:

(b) Various desirable characteristics of effective communication are:

1. Clarity: Any spoken or written communication should state the purpose of message clearly. The language should be simple. Sentences ought to be short as the core message is lost in long, convoluted sentences. Each idea or point must be explained in a separate bulleted points or paragraphs. Make it easy for the reader to grasp the intent of the communiqué.
2. Conciseness: Brevity is the essence of business communication. No one has the time to read long drawn out essays. Besides, the core content is lost in elaborate details. Avoid using too many irrelevant words or adjectives, for example, 'you see', 'I mean to say', etc. Ensure that there are no repetitions
3. Concreteness: The content of your communiqué should be tangible. Base it on facts and figures. Abstract ideas and thoughts are liable to misinterpretation. Make sure that there is just sufficient detail to support your case/ argument and bring focus to the main message
4. Coherence: Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences, and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. The key to coherence is sequentially organized and logically presented information which is easily understood. All content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a flow.
5. Completeness: A complete communication conveys all facts and information required by the recipient. It keeps in mind the receiver's intellect and attitude and conveys the message accordingly. A complete communication helps in building the company's reputation, aids in better decision making as all relevant and required information is available with the receiver.
6. Courtesy: Courtesy implies that the sender is polite, considerate, respectful, open and honest with the receiver. The sender of the message takes into consideration the viewpoints and feelings of the receiver of the message. Make sure nothing offensive or with hidden negative tone is included.
7. Listening for Understanding: We are bombarded by noise and sound in all our waking hours. We 'hear' conversations, news, gossip and many other forms of

{Any 4 Points Each 1/2 Mark}

speech all the time. However, most of it is not listened to carefully and therefore, not understood, partially understood or misunderstood. A good listener does not only listen to the spoken words, but observes carefully the nonverbal cues to understand the complete message. He absorbs the given information, processes it, understands its context and meaning and to form an accurate, reasoned, intelligent response.

The listener has to be objective, practical and in control of his emotions. Often the understanding of a listener is coloured by his own emotions, judgments, opinions, and reactions to what is being said. While listening for understanding, we focus on the individual and his agenda. A perceptive listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client

8. Focus and Attention: Everyday work environment has multiple activities going on simultaneously. The ringing of the phone, an incoming email, or a number of tasks requiring your attention, anxiety related to work, emotional distress etc. can distract you. Such distractions are detrimental to the communication process with an individual or a group of people. You may overlook or completely miss important points or cues in the interaction. Thus, keeping your focus and attention during the communiqué is imperative for effective communication.
9. Emotional Awareness and Control: Emotional awareness is a necessary element of good communication. While interacting with another person or a group, it is important to understand the emotions you and he/ she/ they are bringing to the discussion. Managing your own and others emotions and communicating keeping in mind the emotional state of others helps in smooth interaction and breakdown of the communication process.

Answer:

(c) (i) d
(ii) We can do the work only by next week.
(iii) Teacher requested the children to use a blue pen for their homework. **{Each 1 Mark}**

Answer 10:

(a) **Hazards of Passive Smoking (Title)** **{1 M}**

A lot of research and studies have concluded that second hand smoke, or passive smoking as it is commonly called is equally hazardous to health as is active smoking. **{2 M}**

Consistent results show that passive smoking causes lung cancer; also a study brings out a link between parental smoking and damage in children. **{2 M}**

Answer:

(b) A complete communication conveys all facts and information required by the recipient. It keeps in mind the receiver's intellect and attitude and conveys the message accordingly. A complete communication helps in building the company's reputation, aids in better decision making as all relevant and required information is available with the receiver. **{1 M}**

Answer:

(c) (i) b
(ii) d
(iii) An apology letter should be written by you.
(iv) Uncle complained that he was unwell. **{Each 1 Mark}**

Answer 11:

(a) Letter

Manager Operations and Admin — 15th Feb, 2019
Net Solutions
Mumbai

Administration Head
Food for you Solutions
Mumbai

{1 M}

Dear Sir/Madam
Sub: Complaint against food quality **{1 M}**

This with reference to the food supplied to our cafeteria by your company's kitchen. Unfortunately, for the past few weeks, we have observed that the quality of food items, especially rice, wheat flour and pulses has degraded considerably.
A few of our employees complained of ill health after having consumed your food. I presume stale food is not being sent to us.
Kindly assure that the raw material you use is of high quality standards and is ISI approved.
I request you to look into this matter urgently and present a report within 2 days time to avoid a stern action. **{2 M}**

Thanks and Regards,

Name
Manager, Ops and Admin
Net Solutions **{1 M}**

(Signed)
Manager, Office and food supplies ltd.

Answer:

(b) Nonverbal communication is the process of communicating by sending and receiving wordless messages. These messages can aid verbal communication, convey thoughts and feelings contrary to the spoken words or express ideas and emotions on their own. Some of the functions of nonverbal communication in humans are to complement and illustrate, to reinforce and emphasize, to replace and substitute, to control and regulate, and to contradict the denoted message **{1 M}**

- Physical nonverbal communication: An individual's body language that is, facial expressions, stance, gestures, tone of voice, touch, and other physical signals constitute this type of communication. For example, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonistic or defensive posture.
- Paralanguage: The way you say something, more than the actual words used, reveal the intent of the message, The voice quality, intonation, pitch, stress, emotion, tone, and style of speaking, communicates approval, interest or the lack of it.
- Aesthetic communication: Art forms such as dancing, painting, sculptor, music are also means of communication. They distinctly convey the ideas and thoughts of the artist.
- Appearance: Appearance is usually the first thing noticed about a person. A well dressed and groomed person is presumed to be organized and methodical, whereas a sloppy or shabby person fails to make a favourable impression.

{Any 2 Points Each 1/2 Mark}

Therefore, dressing appropriately in all formal interactions is emphasized. The dress code in office is generally formal. It constitutes of formal suits, trousers with plain white or light coloured shirts and leather shoes. Bright colours, jeans, T - shirts, especially with slogans and other informal wear are frowned upon. For women formal two-piece trouser or skirt sets or formal ethnic wear like sarees, is permissible.

- Symbols such as religious and status.

Answer:

(c) (i) c
(ii) Women led a conservative lifestyle in olden days
(iii) The girl asked where I lived.

{Each 1 Mark}

__**__